(अ) भर्ती नियमों में प्रावधान नहीं

(i) नियमित स्थापना के उपयंत्रियों की सेवाएं विभाग में अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बनाये गए भर्ती नियमों मध्य प्रदेश लोक स्वास्थय यात्रिकी विभाग (अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्तें तथा भर्ती) नियम, 1976 के अनुसार शासित होती है।

(ii) कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियो की भर्ती तथा सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए लोक स्वास्थ्य यात्रिंकी विभाग द्वारा अधिसूचना कमांक एफ 2–24–2010–1–चौंतीस भोपाल दिनांक 18.09.2012 के माध्यम से मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 20.09.2012 में भर्ती नियम अधिसूचित किये गए है।

(iii) कार्यभारित स्थापना के कर्मचारीयों को नियमित स्थापना में संविलियन किये जाने संबंधी कोई प्रावधान भर्ती नियमों में नहीं है।

(iv) माननीय न्यायालयों द्वारा भर्ती नियमों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है तथा इनमें निहित प्रावधानों के विपरीत की गई नियुक्तियों /पदोन्नतियों को कानूनी रूप से शून्य घोषित किया गया है।

इस संबध में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा रिट याचिका कमांक 198/1999 (मनसुखलाल सराफ विरूद्ध अरूण कुमार तिवारी एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 06.08.2015 महत्वपूर्ण है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि ऐसे समस्त आदेश जहां विहित भर्ती नियमों का पालन न करते हुये भर्तियां की गई है वो कानूनी रूप से शून्य माने जायेंगें। यथा :–

> 47. By this pronouncement, we declare that all appointments made in similar manner (without following the selection process prescribed by the relevant recruitment rules), in breach of statutory rules, be treated as non-est in the eye of law from its inception and would stand annulled forthwith. However, we may leave the passing of a formal general Government order for revocation of all such appointments or on case to case basis, to be issued by the Appropriate Authority of the State Government.

इस प्रकरण मे दायर एस.एल.पी. (सी.) सी.सी. कमांक 3582/2017 (अरूण कुमार तिवारी विरूद्ध मनसुखलाल सराफ एवं अन्य) आदेश दिनांक 11.04.2017 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायलय द्वारा दिये गए निर्देशों को मान्य किया गया है।

उपरोक्तानुसार कार्यभारित स्थापना के कर्मचारी का नियमित स्थापना के समकक्ष/उच्च/निम्न पद पर संविलियन किया जाना किसी भी दृष्टि से विधि अनुरूप नही है।

(ब) "समान कार्य समान वेतन" का सिद्धांत लागू नहीं

कार्यभारित स्थापना के उपयंत्रियों को नियमित स्थापना के उपयंत्रियों के समान वेतन तथा अन्य हित लाभ प्रदान करने हेतु "समान कार्य समान वेतन" का सिद्धांत लागू नहीं होता है क्योंकि कार्यभारित स्थापना के उपयंत्रियों का नियोजन प्रारंभ में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में किया गया था जिसमें किसी भी प्रकार की भर्ती प्रकिया नहीं अपनायी गयी थी ना ही इन्हें रिक्त पदों के विरूद्ध नियोजित किया गया था ।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवमानना प्रकरण क. 771/2015 (रामनरेश रावत एवं अन्य बनाम श्री अश्विनी राय प्रमुख सचिव एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 की कंडिका 13 में निम्नानुसार उल्लेख हैं :–

> 13) Another significant reason for referring to the judgment of Jagjit Singh is that the Court culled out the principles of 'equal pay for equal work' from the earlier judgments on the subject and collated them at one place. Further, the Court also drew an important distinction between the grant of benefit of 'equal pay for equal work' to temporary employees on the one hand and the status of regular employees on the other hand. Insofar as parameters of principles of 'equal pay for equal work' deduced 16 by the Court are concerned (para 42), our purpose of deduction stated in sub-para vi thereof is important, which is reproduced below:
>
> "(vi) For placement in a regular pay-scale, the claimant has to be a regular appointee. The claimant should have been selected, on the basis of a regular process of recruitment. An employee appointed on a temporary basis, cannot claim to be placed in the regular pay-scale (see – Orissa University of Agriculture & Technology Vs. Manoj K. Mohanty). "

(स) कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ

शासन द्वारा, कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों को नियमित स्थापना के कर्मचारियों की तरह ही अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, बीमा, गृह भाडा भत्ता, यात्रा भत्ता, उपादान राशि, पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति और समयमान योजना आदि लाभ प्रदान किये गये है।

कार्यभारित स्थापना के उपयंत्रियों द्वारा उनका कार्यभारित स्थापना में नियमितीकरण किये जाते समय उन्हें उक्त स्थापना से संबंधित सभी सेवा लाभों का पूर्ण संज्ञान था तथा उन्होने उक्त नियमितीकरण को स्वेच्छा से पूरी तरह स्वीकार किया था। नियमितीकरण के समय तथा बीच की सेवा अवधि में उनके द्वारा इस सबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में बाद में एक अपग्रेड स्तर/नियमित स्थापना में संविलियन की मांग को उठाना किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं है।

पूर्व में रिट पिटीशन कं 21703/2013 (राजेप्द्र प्रसाद शर्मा एवं एस.पी.श्रीवास्तव विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य) के माध्यम से 02 कार्यभारित स्थापना के उपयंत्रियों द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष, नियमित स्थापना में नियुक्ति/संविलियन की मांग को, शासन द्वारा अभ्यावेदन निराकरण आदेश कं. एफ16–3/2012/1/चौंतीस, भोपाल दिनांक 12.02.2018 के माध्यम से अमान्य किया गया है। प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उक्त तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिये था।

(द) कार्यभारित स्थापना के अन्य संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा भी समान तरह की मांग उठने की सम्भावना

वर्तमान में विभाग में कार्यभारित स्थापना के अंर्तगत अनेंक संवर्गों के कर्मचारी कार्यरत है तथा किसी एक संवर्ग के कुछ कर्मचारियों को नियमित स्थापना में समायोजित करने से उसी संवर्ग के अन्य कर्मचारियों द्वारा भी इस तरह की मांग उठाई जाना स्वाभाविक है, जिससे भविष्य में वेतन निर्धारण, उच्चतर वेतनमान, वरिष्ठता और पदोन्नति आदि मुद्दों को लेकर अनेक तरह के न्यायालयीन विवाद एवं प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न होने की संभावना है ।

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 16–3/2012/1/चौतीस
प्रति

भोपाल, दिनांक

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
कार्यभारित उपयंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
मैकेनिकल खंड रीवा

2. श्री एस.पी. श्रीवास्तव
कार्यभारित उपयंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
खंड उज्जैन

विषयः–न्यायालयीन निर्णय के संदर्भ में कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में संविलियन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन निराकृत किये जाने विषयक।

संदर्भः– आपके द्वारा प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल को प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 08.09.2016

–0–

उपरोक्त विषयांर्तगत, मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्र. **डब्लू.पी.(एस.) 21703/2013 (राजेन्द्र प्रसाद शर्मा एवं एस.पी श्रीवास्तव विरूद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य)** में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2016 में मान0 न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को उनकी ओर से प्रस्तुत किये गये अंतरिम आवेदन **(आई.ए. क्र. 3470/2016)** के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रतियाचिकाकर्ता क्र. 2 (प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग) के समक्ष प्रस्तुत करने तथा प्रतियाचिकाकर्ता क्र. 2 को उक्त अभ्यावेदन का निराकरण करने के आदेश दिये गये है। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में आपके द्वारा संदर्भित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

आपके द्वारा अभ्यावेदन में अपनी सेवायें नियमित स्थापना में उपयंत्री के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से तथा सभी संबद्ध लाभों सहित संविलियन किये जाने की मांग की गई है। मान0 न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य आपसे प्राप्त संदर्भित अभ्यावेदन का समग्र रूप से परीक्षण किया गया है।

2/ आपके द्वारा मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये अंतरिम आवेदन **(आई.ए. क्र.3470/2016)** के अनुसार नियमित स्थापना में संविलियन की मांग को लेकर आपके द्वारा दायर न्यायालयीन प्रकरणों का यह तीसरा दौर है। पहले तथा दूसरे दौर में आपके दावे को कमशः शासन के पत्र क्र. एफ 16–10/2009/1/34 भोपाल दिनांक 06जून 2009 एवं प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के पत्र क्र. 1200/स्था./अराज./प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2012 भोपाल दिनांक 02.02.2012 के माध्यम से, सेवा भर्ती नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण, खारिज किया जा चुका है।

3/ मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये अंतरिम आवेदन (आई.ए. क्र. 3470/2016) की कंडिका–03 में उल्लेख है कि नियमित स्थापना में संविलियन की मांग को, भर्ती नियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण, अमान्य किये जाने के उपरांत भी मान0 न्यायालय द्वारा प्रकरण पर पुनः विचार करने के आदेश देना इस बात को दर्शाता है कि मान0 न्यायालय द्वारा "भर्ती नियमों में प्रावधान नहीं होने संबंधी तथ्यों" पर पहले से ही, विचार कर उनकी उपेक्षा कर दी गई है, अतः इसी आधार पर पुनः संविलियन के दावे को खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

4/ अंतरिम आवेदन (आई.ए. क्र.3470/2016) की कंडिका–05 में उल्लेख है कि आपके नियमितीकरण/संविलियन को नियमित उपयंत्रियों के पदों की रिक्तियॉं उपलब्ध नहीं होने के आधार पर अमान्य किया गया है। कंडिका–02 में उल्लेख है कि पहले एवं दूसरे दौर के न्यायालयीन निर्णयों के परिपालन में दो कार्यभारित उपयंत्रियों कमशः श्री टी.सी. कैथवास एवं श्री मनोज खरात का नियमित स्थापना में संविलियन किया गया है।

5/ अभ्यावेदन में, विभाग में नियमित स्थापना में उपयंत्रियों के पदों की उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर नियमितीकरण/संविलियन हेतु मांग प्रस्तुत की गई है।

6/ आपके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का विशलेषण करने पर यह पाया जाता है कि आपके द्वारा यह कहना कि भर्ती नियमों में प्रावधान नहीं होने संबंधी तथ्यों की मान0 न्यायालय द्वारा उपेक्षा किया जाना एक परिकल्पना मात्र है। वास्तव में, मान0 न्यायालयों द्वारा भर्ती नियमों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है तथा इनमें निहित प्रावधानों के विपरीत की गई नियुक्तियों को कानूनी रूप से शून्य घोषित किया गया है।

इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा रिट याचिका कमांक 198/1999 (मनसुखलाल सराफ विरूद्ध अरूण कुमार तिवारी एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 06.08.2015 महत्वपूर्ण है, जिसमें मान0 उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि ऐसे समस्त आदेश जहॉं विहित भर्ती नियमों का पालन न करते हुये भर्तियॉं की गई हैं वो कानूनी रूप से शून्य माने जायेंगे। यथा :–

47. "By this pronouncement, we declare that all appointments made in similar manner (without following the sclection process prescribed by the relevant recruitment rules), in breach of statutory rules, be treated as non-est in the eye of law from its inception and would stand annulled forthwith. However, we may leave the passing of a formal general Government order for revocation of all such appointments or on case to case basis, to be issued by the Appropriate Authority of the State Government.

इस प्रकरण में दायर एस.एल.पी. (सी.) सी.सी. कमांक 3582/2017 (अरूण कुमार तिवारी विरूद्ध मनसुख लाल सराफ एवं अन्य) में आदेश दिनांक 11.04.2017 द्वारा मा.उच्चतम न्यायालय ने मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को मान्य किया है।"

7/ न्यायालयीन निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में विभाग द्वारा कार्यभारित स्थापना के दो उपयंत्रियों क़ा संविलियन नियमित स्थापना में उपयंत्री के पद पर किया गया है। भर्ती नियमों में प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी, उपरोक्त कार्यवाही तत्समय की कार्य–परिस्थितियों के आधार पर मात्र प्रकरण विशेष हेतु की गई है, जो प्रावधानों की अनुपलब्धता के कारण दृष्टांत योग्य नहीं है।

इस संबंध में आपका ध्यान मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा **अवमानना प्रकरण कमांक 771/2015 (रामनरेश रावत विरूद्ध श्री अश्विनी राय)** में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 की कंडिका–24 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह उल्लेख है कि "पूर्व में किसी कर्मचारी को दिये गये अनुचित लाभ के आधार पर, किसी अन्य कर्मचारी द्वारा समान लाभ का दावा किया जाना गलत होगा।" यथा:–

24) In view of the aforesaid, we do not find any substance in the contentions raised by the petitioners in these contempt petitions. We are conscious of the fact that in some cases, on earlier occasions, the State Government while fixing the pay scale, granted increments as well. However, if some persons are given the benefit wrongly, that cannot form the basis of claiming the same relief. It is trite that right to equality under Article 14 is not in negative terms (See Indian Council of Agricultural Research & Anr. v. T.K. Suryanarayan & Ors.9)

8/ कार्यभारित एवं नियमित स्थापना के सेवा भर्ती नियम पृथक–पृथक है। शासन द्वारा कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों हेतु नियमित स्थापना के समान ही सभी लाभ देने के प्रयास किये जा रहे है। इस तारतम्य में लेख है कि आपके द्वारा दायर की गई रिट पिटीशन के निराकरण के उपरांत म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा परिपत्र क्र.–सी, 5–1/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 31.08.2016 द्वारा कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों हेतु अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधान किये गये है। इसी तरह म0प्र0 शासन वित्त विभाग, मंत्रालय के परिपत्र कमांक–एफ–11–13/1661/2016/नियम/चार भोपाल दिनांक 21.09.2016 के माध्यम से कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों हेतु समयमान वेतनमान योजना लागू की गई है।

9/ वर्तमान में विभाग में कार्यभारित स्थापना के अंर्तगत अनेक संवर्गों के कर्मचारी कार्यरत है तथा किसी एक संवर्ग के कुछ कर्मचारियों को नियमित स्थापना में समायोजित करने से उसी संवर्ग के अन्य कर्मचारियों द्वारा तथा अन्य संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा भी इस तरह की मांग उठाई जाना स्वभाविक है, जिससे भविष्य में वेतन निर्धारण, वरिष्ठता आदि मुद्दों को लेकर अनेक तरह की प्रशासनिक कठिनाईया उत्पन्न होने की संभावना है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में भी आपके द्वारा की गई मांग न्यायोचित नहीं कही जा सकती है।

10/ अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा आपके द्वारा अभ्यावेदन के माध्यम से नियमित स्थापना में उपयंत्री के पद पर नियुक्ति/संविलियन की मांग ऊपर उल्लेखित न्यायदृष्टांतों/तथ्यों के संदर्भ में विधि अनुसार एवं नियमानुसार नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। अतः आपका अभ्यावेदन पूर्ण विचारोपरांत अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.सेन्द्रे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ.कमांक एफ 16-3/2012/1/चौतीस
भोपाल, दिनांक 12-2-18

प्रतिलिपिः-

1 प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2. मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (वि./यां.) परिक्षेत्र भोपाल एवं परिक्षेत्र इंदौर की ओर अग्रेषित।

3 अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उज्जैन मंडल उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकेनिकल खंड रीवा/खंड उज्जैन की ओर अग्रीम कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

T/S	E.C	G/S	A/S
E.E.	S.E.	C.E.	